



दिनांक 30.08.2020

प्रेस विज्ञप्ति 38/20

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा कोरोना वायरस से रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत की गयी कार्यवाही का विवरण

श्री एच०सी० अवस्थी, पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस आयुक्त लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ०प्र० को शासन द्वारा प्रदेश भर में कोरोना वायरस के रोकथाम हेतु निर्गत एडवाइजरी के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने के क्रम में निर्देश दिये गये हैं।

उक्त क्रम में अब तक की कार्यवाही का विवरण निम्नवत है:—

- | | | |
|---|---|---------------------|
| • चालान किये गये वाहनों की संख्या | — | 3638987 |
| • सीज किये गये वाहनों की संख्या | — | 70186 |
| • वसूले गये शमन शुल्क की धनराशि रु० | — | 71,39,04,809 |
| • धारा 188 भादवि के तहत पंजीकृत अभियोगों की संख्या | — | 210376 |
| • ई०सी० एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की संख्या | — | 858 |

जनपद बलिया/सहतवार

- पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रू0 व 25 हजार रू0 के पुरस्कार घोषित दो अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस, 02 फायरशुदा खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 29.08.2020 को थाना सहतवार व काइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिनहा मोड़ तिराहे के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा पुलिस कार्यवाही के उपरांत अभिषेक उर्फ खुद्दी व सतीश उर्फ लालू को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस, 02 फायरशुदा खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार दोनो अभियुक्त थाना सहतवार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 107/2020 धारा 302,120 बी भादवि में वांछित चल रहे थे। अभियुक्त अभिषेक उर्फ खुद्दी की गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रू0 व अभियुक्त सतीश उर्फ लालू की गिरफ्तारी हेतु 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सहतवार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अभिषेक उर्फ खुद्दी निवासी मसूदपुर अनुवार थाना सैदपुर गाजीपुर।
- 2-सतीश उर्फ लालू निवासी पाखीपुर थाना खानपुर गाजीपुर।

बरामदगी

- 1- 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस, 02 फायरशुदा खोखा कारतूस आदि।

जनपद अम्बेडकरनगर/थाना जैतपुर

- पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस
- 01 मोटरसाइकिल बरामद

दिनांक 29.08.2020 की सायं थाना जैतपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार चेकिंग के दौरान रैदा पुल के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिससे आरक्षी सन्दीप कुमार यादव घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राज कुमार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस व 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद अम्बेडकरनगर, जौनपुर, आजमगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, यूपी गैंगेस्टर एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है तथा अभियुक्त जनपद स्तर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना जैतपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राज कुमार निवासी पकरौल थाना दीदारगंज आजमगढ़।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जीवित कारतूस, 01 खोखा कारतूस

2—01 मोटरसाइकिल।

कमिश्नरेंट लखनरू / थाना मड़ियांव

- पुलिस कार्यवाही में 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस व 01 खोखा कारतूस आदि
बरामद

दिनांक 30.08.2020 को थाना मड़ियांव व काइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घैला गांव के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त जितेन्द्र कुमार उर्फ जितेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस व 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना हसनगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 251/2020 धारा 302/120 बी भादवि में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु गौतमबुद्धनगर से 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना मड़ियाव पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-जितेन्द्र कुमार उर्फ जितेश नि0 टोलवा अद्दानपुर थाना बेहटा गोकुल हरदोई।

बरामदगी

1- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित कारतूस व 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद देवरिया / थाना बघौचघाट

- 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 29.08.2020 को थाना बघौचघाट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डेमनपुरा चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अपराधी जयराम को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना तरकुलवा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 269/2019 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-जयराम निवासी डोमनपुरा थाना बघौचघाट देवरिया।

जनपद सीतापुर/थाना बिसवां

- चार शातिर अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 10,600 रू0 नगद
- चोरी के सोने/चांदी के आभूषण

- 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक 30.08.2020 को थाना बिसवां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सहरी सराय के पास से चार अभियुक्तों 1-रमेश 2-रोज अली 3-पुतान 4-प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से चोरी के 10,600 रू0 नगद चोरी के सोने/चांदी के आभूषण, 04 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरुद्ध जनपद सीतापुर, बाराबंकी के विभिन्न जनपदों में चोरी, लूट, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट व आर्म्स एक्ट आदि के 53 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने बरामद रूपये/माल को थाना बिसवां, थाना मानपुर पर पंजीकृत चोरी के अभियोग से संबंधित होना स्वीकार किया।

इस संबंध में थाना बिसवां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—रमेश निवासी ग्राम सहरी सराय थाना बिसवां सीतापुर।
- 2—रोज अली निवासी ग्राम बुढनापुर थाना बिसवां सीतापुर।
- 3—पुतान निवासी ग्राम सरौया मिर्जापुर बिसवां सीतापुर।
- 4—प्रकाश नि० ग्राम किशुनपुर मोइजुद्दीनपुर थाना मानपुर सीतापुर।

बरामदगी

- 1— चोरी के 10,600 रू० नगद।
- 2—चोरी के सोने/चांदी के आभूषण।
- 3—04 अवैध तमंचा 315 बोर, 04 जीवित कारतूस आदि।

जनपद बलिया/सहतवार

- पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रू० व 25 हजार रू० के पुरस्कार घोषित दो
अभियुक्त गिरफ्तार

- 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर,
01 जीवित कारतूस, 02 फायरशुदा खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक 29.08.2020 को थाना सहतवार व काइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बिनहा मोड़ तिराहे के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा पुलिस कार्यवाही के उपरांत अभिषेक उर्फ खुद्दी व सतीश उर्फ लालू को गिरफ्तार किया गया। मौके से एक अन्य बदमाश फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस, 02 फायरशुदा खोखा कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार दोनो अभियुक्त थाना सहतवार पर पंजीकृत मु०अ०सं० 107/2020 धारा 302,120 बी भादवि में वांछित चल रहे थे। अभियुक्त अभिषेक उर्फ

खुद्दी की गिरफ्तारी हेतु 50 हजार रू0 व अभियुक्त सतीश उर्फ लालू की गिरफ्तारी हेतु 25,000 रू0 का पुरस्कार घोषित था।

इस संबंध में थाना सहतवार पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अभिषेक उर्फ खुद्दी निवासी मसूदपुर अनुवार थाना सैदपुर गाजीपुर।

2—सतीश उर्फ लालू निवासी पाखीपुर थाना खानपुर गाजीपुर।

बरामदगी

1— 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 01 जीवित कारतूस, 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जीवित कारतूस, 02 फायरशुदा खोखा कारतूस आदि।
